

19/12/19

पञ्जावली पैसा हुई। वकील वापोगण  
अपान्त। वकील वापोगण ने प्राप्त विनाजन  
पर बहस करनी चाहिए। वकील वापोगण की  
बहस सुनी जाती। बहस के दौरान वकील  
वापोगण ने प्राप्त विनाजन शर्मा के अनुसार  
वापपत्र को स्वीकार किया जाने की क्षमता  
की।

मैंने पञ्जावली का अपान्त विनाजन  
प्राप्त विनाजन शर्मा की बहस पर मनन किया  
जाता। अन्यायिक में प्राप्त विनाजन के अनुसार  
वापोगण का वापपत्र स्वीकार किया जाकर डिडी  
बहस वापोगण विरुद्ध प्रतिवापोगण सं। से लगापत्र 3  
के रक भावार्थ की जारी की जाती है कि पत्र

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

पुर 4.5. पुर तहसील व जिला मीरवाड़ा के  
 स्थित निम्नोक्त आवासीय (लगातार) अड्डा  
 वापीगण एवं प्रतिवापीगण सं. 1 से 3 के नाम  
 एक ही से अड्डा राहत रेकार्ड में दर्ज किया  
 जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अड्डा  
 प्रति वापीगण एवं प्रतिवापीगण सं. 1 से 3 के नाम  
 दर्ज की जावे।

1. श्री तहसील कृषक जिला मीरवाड़ा तहसील (2) श्री विनय  
 कुमार शिव शोहन लाल पारसीया उम्र व्यक्ति  
 निवासी पुर तहसील व जिला मीरवाड़ा वापीगण  
 के नाम निम्न प्रति एक व हिससे अड्डा राहत  
 रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आवासी नं.	रकबा	लगातार
4586/3	0.06.15	—
किता - 1	रकबा	06 खिन्वा 15 खिन्वा

2. श्री जगदीश चन्द शिव उच्छललाल, अनामदेवी,  
 नीला देवी पुत्रीया उच्छललाल व्यक्ति उम्र  
 व्यक्ति निव पुर तहसील व जिला मीरवाड़ा  
 प्रतिवापीगण सं. 1 से 3 के नाम निम्न प्रति  
 एक व हिससे अड्डा राहत रेकार्ड में दर्ज  
 की जावे।

आवासी नं.	रकबा	लगातार
4586/2	1.00.05	—
किता - 01	रकबा	01 खिन्वा 05 खिन्वा

अनामदेवी प्रति वापीगण एवं प्रतिवापीगण सं. 1 से 3  
 के नाम अड्डा रेकार्ड में दर्ज की जावे। अर्थात् निम्न  
 अपना-अपना बहन करे। तदनुसार डिप्टी जारी हो  
 हो।  
 प्रजावती कृषक शिव शोहन लाल व पत्नी वापीगण

*(Signature)*

